WICCI
WOMEN'S INDIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

Dr.R H Lata
National President, Yoga Council

Women's Indian Chamber of Commerce and Industry

दिनांक: 02.09.2021

प्रति,

माननीया श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी
केन्द्रीय मंत्री, महिला बाल विकास विभाग
भारत सरकार, नई दिल्ली

संदर्भ:– लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 धारा 44 के अधीन राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मॉनीटरिंग विषयक।

विषय: महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को महिला आयोग द्वारा मॉनिटरिंग करने हेतु।

महोदया जी,

विनम्र निवेदन के साथ आग्रह करना चाहती हूं कि वर्ष 2013 में, जब मैं म.प्र बाल आयोग की सदस्या थी, तब माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग और संबंधित अन्य विभागों को अपना एक सुझाव "महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम–2013 के संबंध में दिया था (पत्र क्रमांक 1759 दिनांक 30.12.2013) का सही परिपालन के लिए इसकी मॉनिटरिंग महिला आयोग दी जाए। जिस प्रकार पोक्सो एक्ट की मॉनिटारिंग राष्ट्रीय बाल आयोग को दी गई है। इसके लिए उसी समय विधि एवं विधाई विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र क्रमांक 11;1द14ण1;वाज.1द दिनांक 7 फरवरी 2014 महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया था। परंतु आठ सालों में आज तक इस अहम विषय पर कोई भी अगामी कदम नही उठाया गया। परिणाम स्वरूप लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भी विशाखा गाइडलाइन की तरह निष्क्रिय साबित हो रहा है।

अतः "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012" की मॉनिटरी के लिए अधिनियम की धारा 44 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य बाल आयोग को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त किया गया है, उसी प्रकार विषय की गंभीरता को देखते हुए "महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013" के सफल क्रियान्वयन हेतु एक्ट में संशोधन कर राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग को मॉनिटरिंग हेतु नियुक्त किया जाये।

सादर आपकी ओर प्रेषित।

(डॉ. आर.एच. लता)